



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272382  
CG-DL-E-09052026-272382

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2265]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2265]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

**का.आ. 2356(अ).**— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्याय-4 और उससे संबंधित संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों को निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के रूप में नियुक्त करती है, जो इस संहिता के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और संहिता की उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निरीक्षण स्कीम के अनुसार उपधारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे :

- क. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी;
- ख. सहायक निदेशक;
- ग. उप निदेशक;
- घ. क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख'/संयुक्त निदेशक;

- ड. क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'क'/निदेशक;  
च. अपर आयुक्त;  
छ. बीमा आयुक्त।

[फा. सं. आर-19025/12/2026-एस एस-1]  
आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

**S.O. 2356(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government for the purposes of Chapter IV and other provisions of the Code relating thereto appoints the following officers as Inspector-cum-Facilitators who shall discharge their duties under this Code and exercise the powers conferred on them under sub-section (6) in accordance with the inspection scheme referred to in sub-section (2) of said section of the Code:

- a. Social Security Officer;
- b. Assistant Director;
- c. Deputy Director;
- d. Regional Director Grade 'B'/Joint Director;
- e. Regional Director Grade 'A'/Director;
- f. Additional Commissioner ;
- g. Insurance Commissioner.

[F. No. R-19025/12/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.